न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 800/2025

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मफीबेन पुत्री पिथाजी 2. वरजुबेन पुत्री पिथाजी (जातियान पुरोहित, निवासीगण डूंगरी, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर, राज0)		1. बगदाराम पुत्र पीथाजी 2. करसन राम पुत्र पीथाजी 3. तेजाराम पुत्र पीथाजी (जातियान पुरोहित, निवासीगण डूंगरी, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर, राज0) 4. तहसीलदार रानीवाडा भूमिधारी, तहसील रानीवाडा, जिला सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर सांचौर (हाल जिला जालोर) दिनांक 28.10.2025 राजस्व अपील/प्रकरण संख्या 24/2025 अनवान मफीबेन व अन्य बनाम वगदाराम वगैरा

उपस्थित–
1. श्री मोतीसिंह/करणसिंह राजपुरोहित, वकील अपीलांट्स
2. श्री भंवरसिंह रावलोत, वकील रेस्पो0 सं0 1 से 3
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 4

निर्णय

दिनांक 1-5-26.

उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर सांचौर द्वारा राजस्व अपील/प्रकरण संख्या 24/2025 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रथम अपील इस आशय से प्रस्तुत की गई कि तहसील रानीवाडा स्थित ग्राम डूंगरी के खसरा नं0 254, 273, 274, 275, 874, 875, 813, 812, 810, 811, 809, 826, 825, 807 व 808 की कुल रकबा हैक्टर भूमि में अपने पिता स्व0 पीथा पुत्र रगा के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 04 दिनांक 11.09.1989 पिथा के 3 पुत्र–बगदा, करसन व तेजा तथा पत्नी लाछी के नाम पारित किया गया। जबकि स्व0 पिथा की दो जायंदा पुत्रियां–मफी व वरजु भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान मौजूद थी। अतः उक्त स्वीकृत ना0क0 निरस्त कर, स्व0 पीथा के सभी वारिसान के नाम ना0क0 पारित कराने का आदेश फरमावे। जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2025 द्वारा इस विवेचन से खारिज कर दिया गया "कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने पिता की पैत्तृक सम्पति में नामान्तरण खोलने पर अपीलांट का नाम शेष रहने पर उक्त अपील प्रस्तुत की है। रेस्पो0 ने भी अपीलांट की इस्तदुआ बाबत सहमति जाहिर की है। इस दृष्टि से तो अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में अन्य कोई खातेदार तो प्रभावित नही हो रहे है। इस संबंध में नामान्तरण पंजिका की प्रतिलिपी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार स्व0 पीथा के भाई जोरा एवं छोगा भी है, जो कि उक्त वादग्रस्त आराजी में खातेदार है तथा प्रभावी पक्षकार है। उक्त खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया है। अपीलांट द्वारा उक्त स्वीकृत ना.क.सं. 04 दिनांक 11.09.1989 को निरस्त हेतु प्रस्तुत अपील को इतने समय बाद विलम्ब से पेश करने का कोई प्रर्याप्त आधार या साक्ष्य पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में पक्षकार संयोजन के अभाव में तथा म्याद बाहर होने से अपीलांट की अपील खारिज/अस्वीकार की जाती है। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने अन्तर्गत धारा 76 आरएलआर एक्ट के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 05 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया हुआ था। रेस्पो0सं0 1 से 3 द्वारा दिनांक 08.10.2025 को प्रस्तुत लिखित जवाब के बिन्दु संख्या 8 में यह अभिकथित किया गया कि स्व0 पिथा के फौत होने पर हम रेस्पो0 स्व0 पिथा के पुत्र होने के नाते हमारे नाम पिथा की भूमि में हमारे नाम फौतेदगी नामान्तरण खोला गया। उक्त भूमि के सह–खातेदार छोगा व जोरा जो हमारे परिवार के कर्ताधरता थे, उनके कहे अनुसार हमारे द्वारा बंटवारे पर हस्ताक्षर किए गये है, जो उक्त बंटवारा नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 14.06.1989 के जरिये स्वीकृत हुआ। उक्त जवाब की इस्तदुआ में अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पो0 को किसी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकार की कोई आपत्ति नही होना अंकित किया गया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्व0 पिथा के भाई जोरा एवं छोगा जो कि उक्त वादग्रस्त भूमि में खातेदार है, का पक्षकार संयोजन के अभाव में तथा अपील म्याद बाहर होने से खारिज कर दी गई। जबकि अपीलांट्स द्वारा अपने पिता के फौतेदगी ना.क.सं. 04 दिनांक 11.09.1989 में उसके नाम दर्ज हिस्सा भूमि में नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया था। वादग्रस्त भूमि के सह–खातेदार जोरा एवं छोगा की हिस्सा भूमि बाबत कोई अनुतोष नही चाहे जाने से उन्हें पक्षकार संयोजित नही किया गया। अतः अपील मियाद शुमार कर अपीलाधीन आदेश एवं अपीलाधीन जैर ना.क.सं. 04 दिनांक 11.09.1989 निरस्त करने तथा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि में अपीलांट का नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 3 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लिखित जवाब में अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पो0 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना अंकित किया गया था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में वांछित अनुतोष प्रदान कराने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि आलौच्य प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा ग्राम डूंगरी के ना.क.सं. 04 में स्व0 पीथा वल्द रगा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से की कृषि भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के नाते अपना नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया गया था। इस बाबत रेस्पो0सं0 1 से 3 द्वारा अपने लिखित जवाब में भी अनापत्ति प्रकट की गई थी। इस बाबत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में एक तरफ तो अपील को स्वीकार योग्य माना गया। वही दूसरी तरफ ना.क. सं. 04 में अकित स्व0 पिथा के भाई जोरा एवं छोगा वल्द रगा को खातेदार एवं

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रभावी पक्षकार मानते हुए, उन्हें पक्षकार के रूप संयोजित नही करने से पक्षकार संयोजन के अभाव में तथा अपील को म्याद बाहर होना मानते हुए खारिज कर दी गई। जबकि उक्त ना0क0 में उल्लेखित खसरान की भूमि छोगा, जोरा व पीथा वल्द रगा के 1/3 हिस्सों में पहले से ही दर्ज है तथा अपीलांट द्वारा पीथा के फातेदगी ना0क0 में उनके वारिसान के नाम दर्ज भूमि में विधिक वारिसान के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया गया था। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सांचौर (हाल जिला जालोर) द्वारा राजस्व अपील सं. 24/2025 अनवान मफीबेन व अन्य बनाम बगदाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 अपास्त किया जाता है व अपीलांट की प्रथम अपील को म्याद शुमार करते हुए, अपीलाधीन जैर ना.क.सं. 04 दिनांक 11.09.1989 को निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह ग्राम डूंगरी के फौतेदगी ना.क.सं. 04 दिनांक 11.09.1989 में स्व0 पीथा वल्द रगा के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में हुए बेचान/अंतरणों एवं मृतक पीथा के वारिसान की जांच कर, विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करावे।

निर्णय आज दिनांक 1-5-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

1/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर